न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2016

अपीलांट		**रेस्पोडेंटस**
चूनाराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	**बनाम**	1. देराजराम पुत्र गंगाराम 2. तुलसाराम पुत्र गंगाराम 3. डूंगराराम पुत्र गंगाराम 4. हुकमाराम पुत्र राजूराम 5. उदाराम पुत्र हरचन्दराम 6. साजनराम पुत्र हरचन्दराम 7. गोगाराम पुत्र लिखमाराम 8. भीखी बेवा लिखमाराम 9. पोकरराम पुत्र जगमालराम 10. दानाराम पुत्र जगमालराम जातियान मेघवाल निवासी अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 11 तहसीलदार चौहटन 12 तहसीलदार सेड़वा

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 15.12.2004 द्वारा तहसीलदार चौहटन।

उपस्थित– 1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 10 की ओर से।
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 की ओर से।

निर्णय दिनांक 22.02.2018

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नंबर 252 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

253 रकबा 185.12 बीघा कुल रकबा 186 बीघा मौजा अरटी तहसील चौहटन वर्तमान तहसील सेड़वा में आई हुई है। रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार व पूर्व में किये गये बाहामी बंटवाड़े अनुसार खेतो का बंटवाड़ा कराने हेतु प्रस्ताव प्रशासन आपके द्वार वर्ष 2004 के तहत रखे जाने पर अपीलांट द्वारा सहमति दी गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 द्वारा हल्का पटवारी के साथ मिलकर उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने हेतु प्रस्ताव तैयार करवाये एवं प्रस्तावो पर अपीलांट को धोखे में रखकर हस्ताक्षर करवाकर तहसीलदार चौहटन के समक्ष पेश किये। तहसीलदार चौहटन द्वारा तैयार प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2004 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया।

3. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क हैं कि मौजा अरटी के खेत खसरा नंबर 252 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 253 रकबा 185.12 बीघा कुल रकबा 186 बीघा भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा पक्षकारान अपने–अपने कब्जे अनुसार काश्त करते आ रहे है, तथा मौके की स्थिति एवं रेकर्ड में भारी अन्तर है, अपीलांट का घर रेस्पोडेंट के हिस्से में चला गया। नेखमबन्दी के दॉरान पटवारी द्वारा तैयार मौका फर्द में चूनाराम की ढाणी बीच में आने से पक्की नेखमबन्दी नहीं की जा सकी। प्रशासन गांव के संग अभियान 2004 के दौरान् रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 ने हल्का पटवारी के साथ मिलकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2004 पारित करवा गया, जो खारिज किये जाने योग्य है।

4. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान 2004 के दौरान् किया गया बंटवाड़ा सभी पक्षकारान की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में किया गया है, तथा बंटवाड़ा आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अमलदरामद भी हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट चूनाराम व चारो खातेदार सगे भाई है, परन्तु अपील केवल चूनाराम द्वारा की गई है, अन्य किसी पक्षकार को कोई आपति नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से काबिल खारिज हैं।

5. रेस्पोडेंट संख्या 11 व 12 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2004 के तहत पारित आदेश दिनांक 15.12.2004 सभी पक्षकारान की आपसी सहमति होने पर पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया है, जो विधि अनुसार सही होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाये।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता, रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 के अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश दिनांक 15.12.2004 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 252 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 253 रकबा 185.12 बीघा कुल रकबा 186 बीघा भूमि मौजा अरटी तहसील चौहटन में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 10 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्तानुसार किये गये विभाजन आदेश को लेकर पक्षकारान के मध्य कब्जा काश्त के सम्बन्ध में विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है, अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के मौजूदा कब्जा काश्त बाई मिटस एवं बाउण्डस के सिद्वान्त अनुसार नहीं है तथा राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जांच नहीं की, जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार की जाकर अपील अंदर मियाद सुमार की जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2004 को अपास्त किया जाता है और तहसीलदार सेड़वा को निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त एवं खातेदारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी नियम 20 व 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए पुनः विधिवत विभाजन आदेश पारित करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.02.2018 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)